

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बृहस्पतिवार, 13 फरवरी, 2003 / 24 माघ, 1924 (शक)

संख्या: 245

सदस्य की नजर बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित सहायक पुलिस आयुक्त, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह को दिनांक 11/02/2003 को अपराहन 3.10 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत वसंत कुँज, नई दिल्ली में नजर बन्द किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 11/02/2003 को अपराहन 4.30 बजे, रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Thursday, 13 February, 2003/ 24 Magha, 1924(saka)

No. 245

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon`ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from ACP, Delhi Cantt., New Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Mahender Singh, Hon`ble Member of Legislative Assembly, Delhi was detained at Vasant Kunj. U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 3.10 P.M. on 11/02/2003.

He was released at 4.30 P.M. on the same day i.e. 11/02/2003."

SIDDHARATH RAO
SECRETARY